संख्या– 1283/सात–न्याय–2–2013–226जी/08टी0सी0

प्रेषक,

एस0 के0 पाण्डेय,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में

महानिबन्धक,
मा0 उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

न्याय अनुभाग–2 (अधीनस्थ न्यायालय) लखनऊःदिनांक 23, सितम्बर, 2013

विषयः–रिट पिटीशन (सी0) संख्याः1022/1989: ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन तथा अन्य बनाम भारत सरकार तथा अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–01–2008 के सन्दर्भ में अधीनस्थ न्यायालयों के गैर न्यायिक सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों के संबंध में प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक आयोग (शेट्टी आयोग) द्वारा की गयी संस्तुतियों को लागू किये जाने के संबंध में।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रिट पिटीशन (सी0) संख्याः1022/1989: ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन तथा अन्य बनाम भारत सरकार तथा अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–01–2008 के सन्दर्भ में अधीनस्थ न्यायालयों के गैर न्यायिक सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों के संबंध में प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक आयोग (शेट्टी आयोग) द्वारा की गयी संस्तुतियों पर सम्यक् विचारोपरान्त अधोअंकित तालिका के स्तम्भ–2 में उल्लिखित अधीनस्थ न्यायालयों के कर्मचारियों को तालिका के स्तम्भ–3 के अनुसार उल्लिखित वेतनमान दिये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

S.No.	Grade	Proposed Pay Scale	Sanctioned Post
(1)	(2)	(3)	(4)
1-	Grade-I Munsarim/Reader Court of District Judge/A.D.J.	Old 5500-9000 Revised 9300-34800 Gade Pay 4200/-	536
2-	Grade-II Munsarim/ Reader Court of C.J. (S.D)/C.J.M./CMM	Old 4500-7000 Revised 5200-20200 Gade Pay 2800/-	867
3-	Grade-III Munsarim/ Reader Court of C.J. (J.D)/Magistrate/J.M./JSCC.	Old 4000-6000 Revised 5200-20200 Grade Pay 2400/-	1231

S.A.O. & Bill clerk to do the needful
17/10/13

circulate amongst all class III employees of the judgeship
17/10/13

2– उक्त अनुमन्य वेतनमान के अन्तर्गत रीडर्स संवर्ग के पदों का विभाजन तात्कालिक प्रभ से प्रभावी होगा। उक्त के अतिरिक्त रीडर के पदों को न्यायालय के श्रेणी के अनुसार ग्रेड- ग्रेड–2 एवं ग्रेड–3 में विभाजित किया गया है। शेट्टी आयोग की संस्तुतियों के अनुसार विभि श्रेणी में विभाजित रीडर के पदों पर समान वेतनमान के अन्य पदों से नियुक्ति के आधार भरा जायेगा। इन पदों को प्रोन्नति के आधार पर नहीं भरा जायेगा अर्थात् रीडर ग्रेड–3 से री ग्रेड–2 पर एवं रीडर ग्रेड–2 से रीडर ग्रेड–1 पर पदोन्नति नही की जानी है।

3– ये आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–वे0आ0–1–713/दस–20 दिनांक 20–09–2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस0के0 पाण्डेय)
प्रमुख सचिव

संख्या–1283 (1)/सात–न्याय–2–2013, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1– समस्त जनपद न्यायाधीश, उत्तर प्रदेश।
2– समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3– वित्त (वेतन–आयोग) अनुभाग–1/2 (तीन–तीन प्रतियों में)
4– महालेखाकर (लेखा एवं हकदारी)–1/2 तथा आडिट–1 एवं 2, उ0प्र0 इलाहाबाद।
5– विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी, उ0प्र0 शासन, न्याय विधि कोष्ठक, नई दिल्ली।
6– श्री शीष कुमार मिश्रा, एडवोकेट ऑन रिकार्ड, मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
7– वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–12
8– न्याय अनुभाग–9 (बजट)
9– गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(चन्द मौलि शुक्ल)
विशेष सचिव।

तृतीय श्रेणी कर्मचारी

1 [illegible]
2 [illegible]
3 [illegible]
4 [illegible]
5 Laxmichand
6 Kamal Anand
7 Krishna Kumar
8 [illegible] chandra [illegible]
9 N.V. Singh
10 [illegible]

हस्ताक्षर

12 Dharm Raj
13 [illegible]
14 [illegible]
15 [illegible]
16 [illegible]
17 [illegible]
18 [illegible]
19 [illegible]
20 [illegible]

संख्या–233 / सात–न्याय–2–2013–68जी / 2011

प्रेषक,

एस0 के0 पाण्डेय,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा0 उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

न्याय अनुभाग–2 (अधीनस्थ न्यायालय) लखनऊः दिनांकः 13 जून, 2013

विषयः–अधीनस्थ न्यायालय के लिपिकीय संवर्ग के पदों पर उत्तर प्रदेश सचिवालय से इतर राजकीय विभागों के लिपिकीय संवर्ग के संबंध में लिये गये निर्णय का कार्यान्वयन।

महोदय,

वेतन समिति (2008) के दसवें प्रतिवेदन (भाग–4) में न्याय विभाग के अन्तर्गत अधीनस्थ न्यायालयों के लिपिकीय संवर्ग के पदों पर राजकीय विभागों के लिपिक संवर्ग के पदों के समान वेतनमान एवं ढ़ाँचा रखे जाने के संबंध में शासनादेश संख्या–1595 / सात–न्याय–2–2011–68जी / 2011, दिनांक 17 फरवरी, 2012 निर्गत किया गया।

2– वेतन समिति, 2008 की संस्तुतियों पर लिपिकीय संवर्ग के संबंध में लिये गये निर्णयों को संशोधित करने विषयक वित्त विभाग के, पत्र संख्या–वे0आ0–2–2105 / दस–54(एम) / 2008टी0सी0, दिनांक 22 दिसम्बर, 2011 के कम में अधीनस्थ न्यायालयों के लिपिकीय संवर्ग के पदों पर निम्नवत् व्यवस्था दिनांक 22 दिसम्बर, 2011 से लागू किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(1) लिपिकीय संवर्ग के पूर्व वेतनमान रू04500–7000 में उपलब्ध पदों का पदनाम प्रधान सहायक करते हुए वेतनमान रू0 5000–8000 के सादृश्य वेतन बैण्ड–2 रू0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200 / – अनुमन्य किया जाता है।

Soon
Bill clerk to note. Circulate among all officials.
D. J. 17/7/13
17/7/13

–2–

(2) प्रधान सहायक के पदों को पुनर्गठित संवर्ग के वरिष्ठ सहायकों (पूर्व पदनाम यथा वाद लिपिक, इजरायवाद लिपिक, सत्र लिपिक, विविध लिपिक, अपील लिपिक, उप नाजिर, लिपिक/अहलमद (परिवर्तित पदनाम वरिष्ठ सहायक) से पदोन्नति द्वारा भरा जायेगा।

(3) पूर्व वेतनमान रू0 5000-8000 तथा रू0 5500-9000 में उपलब्ध पदों का पदनाम प्रशासनिक अधिकारी करते हुये वर्तमान में अनुमन्य वेतन बैण्ड-2 रू0 9300-34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200/- के स्थान पर उच्चीकृत वेतन बैण्ड-2 रू0 9300-34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4600/- अनुमन्य होगा।

(4) प्रशासनिक अधिकारी के पदों को 05 वर्ष की सेवा वाले प्रधान सहायक के पदों से शत प्रतिशत पदोन्नति द्वारा भरा जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-वे0आ0-1-427/दस- 2013, दिनांक 13-06-2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस0 के0 पाण्डेय)
प्रमुख सचिव।

संख्या-233(1)/सात-न्याय-2-2013, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- समस्त जिला जज, उत्तर प्रदेश।
4- समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3- वित्त (वेतन-आयोग) अनुभाग-1/2
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12
6- वित्त (सामान्य) अनुभाग-1/2
7- न्याय अनुभाग-9 (बजट)
8- गार्ड बुक हेतु।

आज्ञा से,
13.06.2013
(आर0 के0 उपाध्याय)
विशेष सचिव।

From,

Narendra Bahadur Yadav,HJS,
Joint Registrar (Judicial)(Inspection)
High Court of Judicature at
Allahabad.

To,

The District Judge,
Shravasti.

No. 622 /Ve-60/Admin. 'D' Section:Dated:January 15th, 2015.

Subject: **Application of S/Sri Mohd. Saleem, Kaushal Kishore Shukla and Vivek seeking clarification in respect of G.O. No.1283/VII-Nyaya-2-2013-226G/8T.C., dated 23.09.2013.**

Sir,

With reference to your letter No. 533/2014, dated 08.08.2014 on the above subject, I am directed to inform you the G.O. No.1283/VII-Nyaya-2-2013-226G/8T.C., dated 23.09.2013 has been issued by the Government whereby three grades of post of Munsrim/Reader as Grade-I, Grade-II & Grade-III, in the pay scale of Rs. 5500-9000, Rs. 4500-7000 and Rs. 4000-6000 respectively, have been categorised, mentioning total sanctioned number of posts of all the Judgeships of Uttar Pradesh including Shravasti Judgeship. It has been clearly mentioned that these posts are not to be filled up on the basis of promotion i.e. from Grade -III to Grade-II and Grade-II to Grade-I and these categories posts are to be filled up by posting of other employees of the Judgeship working in the equal pay scale.

It is further to be infromed that vide G.O. No.233/VII-Nyaya-2-2013-68G/2011, dated 13.06.2013, the Clerical post for the subordinate courts in the pay scale of Rs. 4500-7000 have been up graded to Rs. 5000-8000 (revised Rs.9300-34800, G.P. Rs.4200) and the pay scale of Rs. 5500-9000 has been upgraded to Rs.9300-34800, G.P. Rs.4600.

Yours faithfully,

N B Yadav 13.1.15
Joint Registrar (J)(I)

Put up before Hon'ble D.J.
[illegible] 20.1.15

Invite a fresh report from in the light of Hon'ble Court's letter dated 15.1.15 with a week positively

S.A.O. to report by 28/1/15
[illegible] 20/1/15